न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–48 / 2023
दायर दिनांक :–10 / 04 / 2023
निर्णय दिनांक :– 04 / 09 / 2025

अनवान्

1. शांतिलाल पुत्र ईश्वरलाल ब्राहम्ण निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. श्यामलाल पुत्र ईश्वरलाल ब्राहम्ण निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. बंशीलाल पुत्र ईश्वरलाल ब्राहम्ण निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. बदातबाई पुत्री ईश्वरलाल ब्राहम्ण निवासी जुणदा हाल निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगाण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर राजसमन्द जिला राजसमन्द
3. खेमराज पुत्र जीतमल ब्राहम्ण निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. गिरवर पुत्र जीतमल ब्राहम्ण निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. गिरवरलाल पुत्र जीतमल ब्राहम्ण निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. मनोहरलाल पुत्र जीतमल ब्राहम्ण निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. लेहरूलाल पुत्र गंगाराम जाट निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. शंकरलाल पुत्र वेणीराम जाट निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री रोशनलाल साहु, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से – पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 03 से 08 की ओर से – एक तरफा कार्यवाही

दिनांक – 04 / 09 / 2025

वाद बाबत घोषणात्मक डिक्री

निर्णय

वादीया ने अधिवक्ता अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम जुणदा तहसील रेलमगरा में (अ) खाता संख्या 136 आराजी सख्यां 1277, 1286, 1287, 3188 / 1286 कुल किता 04 रकबा 3.4074 हेक्टेयर भूमि (ब) खाता संख्या 732 आराजी संख्या 1526, 1527 कुल किता 02 रकबा 1.5864 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जिसके प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमार्णित प्रति प्रस्तुत हैं तथा आगे अभिवचन किया की वादपत्र की कलम संख्या 01 (अ) में वर्णित भूमियों में वादीगण संख्या 01, 02, 03 का प्रत्येक का 1 / 9, 1 / 9 हिस्सा दर्ज होकर शेष हिस्से में प्रतिवादी संख्या 03 से लगायत 06 के नाम अंकित है तथा वादपत्र की कलम संख्या 01 (ब) में अंकित भूमियों में वादीगण संख्या 01 का 1 / 8 हिस्सा में नाम दर्ज होकर 1 / 8 हिस्से में शंकरलाल पुत्र काशीराम का नाम दर्ज है तथा शेष हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 05 व 07, 08 एवं मृतक वरदीशंकर पुत्र

उपखण्ड अधिकारी

कासीराम के नाम अंकित है जो स्थित वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार स्पष्ट हैं। तथा मृतक वरदीशंकर के गोद पुत्र प्रतिवादी संख्या 06 ही होने से अन्य किसी पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नही हैं। जिससे उपरोक्त अनुसार वादपत्र पेश किया जा रहा हैं तथा वादपत्र की कलम संख्या 01 (अ) में वर्णित भूमियों में वादीगण के पिता का नाम ईश्वरलाल की जगह उनके दादाजी काशीराम का नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत अंकित कर दिया गया है जिससे पिता के नाम की जगह सही नाम ईश्वरलाल अंकित कराना चाहते है तथा वादपत्र की कलम संख्या 01(ब) में वर्णित भूमियों में भी शंकरलाल पुत्र काशीराम नाम सेटलमेंन्ट अधिकारियों की गलती से गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि शंकरलाल उर्फ ईश्वरलाल नाम एक ही व्यक्ति वादीगण के पिता होने से तथा वर्तमान में उनकी भी मृत्यु हो जाने से मृतक शंकरलाल उर्फ ईश्वरलाल की जगह वादीगण चारों अपना नाम समान हिस्से में दर्ज कराना चाहते है शेष किसी भी पक्षकार का कोई हिस्सा प्रभावित नही होने से केवल नाम में संशोधन एवं मृतक के विधिक वारिसान वादीगण अपना नाम दर्ज करवाकर उक्त अनुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हेतु उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादग्रस्त भूमियों से सम्बन्धित दस्तावेज सवत 2030 की सेटलमेंन्ट की जमाबंदी व अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियॉ भी वादपत्र के साथ पेश की गयी जिसके समर्थन में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 से लगायत 06 का वंश वृक्ष सजरा पेश किया गया एवं उक्त वाद में आगे यह भी वर्णित किया गया की वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों के अलावा अन्य भूमियों में वादीगण के नाम सही इन्द्राज चले आ रहे है केवल वादग्रस्त भूमियों में ही राजस्व अधिकारियों की गलती से पिता के नाम की जगह दादाजी काशीराम का नाम अंकित कर दिया गया तथा पिता का नाम भी ईश्वरलाल की जगह शंकरलाल नाम गलत दर्ज हो जाने से उनकी मृत्यु पश्चात भी विरासत वादीगण के नाम पर दर्ज नही हो पाई जिसकी दुरूस्ती एवं विरासत दर्ज हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को निवेदन किया गया तो उनके द्वारा इंकार कर देने से वादीगण के लिये अब उक्त अनुसार घोषणात्मक डिक्री जारी करायी जानी नितान्त आवश्यक हो गयी है शेष भूमियों में कोई त्रुटि नही होने से केवल वादग्रस्त भूमियों के हद तक ही यह वादपत्र पेश किया जा रहा हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 भूमिधारक एवं राज्य सरकार की ओर सये प्रतिनिधि पक्षकार होने से उन्हें उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं जिसके विरूद्व वाद पेश करने से पुर्व नियमानुसार धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर गाद अनुमति ही यह वाद पेश किया गया है तथा अन्य किसी भी पक्षकार का कोई हिस्सा प्रभावित नही है फिर भी संभावित आपति के निराकरण हेतु सभी सहखातेदारान अथवा उनके विधिक प्रतिनिधि को भी उक्त वाद में ओपचारिक पक्षकार बनाया गया है अन्य प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के अलावा अन्य प्रतिवादी संख्या 03 से लगायत 08 के विरूद्व वादीगण कोई अनुताष नही चाहते हैं।उक्त आशय के अभिवचनों के साथ वादपत्र पेश किये जाने के उपरान्त धारा 80 जाप्ता दिवानी की आपत्ति रिर्जव रखते हुए वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 03 से लगाायत 08 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के उपरान्त कोई उस्थित नही होने से उनके विरूद्व दिनांक 18/09/2023 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये त्था प्रतिवादी संख्या 02 ओपचारिक पक्षकार होने से उनके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया। इस स्तर पर उक्त मामले में प्रतिवादी सख्या 01 तहसीलदार रेलमगरा उपस्थित हुए जिनसे उक्त प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाही गयी जिस पर दिनाक 14/05/2025 को जांच कर दिनाक 21/08/202025 को तहसीलदार रेलमगरा द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

प्रस्तुत कर बताया गया कि राजस्व ग्राम जूणदा की वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं.136 में आराजी संख्या 1277, 1286, 1287, 3188/1286 कुल किता 04 कुल रकबा 3.4074 हेक्टेयर होकर अन्य सहखातेदारान के साथ वादीगणों का नाम बंशीलाल पुत्र काशीराम 1/9, श्यामलाल पुत्र काशीराम 1/9, शान्तिलाल पुत्र काशीराम 1/9, जाती ब्राहम्ण के दर्ज रिकोर्ड है तथा खाता सख्या 732 में आराजी न. 1526,1527, कुल रकबा 1.5864 हेक्टेयर भूमि में अन्य सहखातेदारान के साथ वादीगण के पिता का नाम शंकरलाल पुत्र काशीराम नाम दर्ज हैं। जिसकी जमाबंदी सलग्न हैं। तथा ग्राम जुणदा की रोटसन जमाबंदी सवत 2066–69 के खाता संख्या 495 में आराजी नम्बा 1277,1286,1287 व 3178/1286 दर्ज है उसमें वादीगण का इन्द्राज बंशीलाल, श्यामलाल, शान्तिलाल, बदाम बाई पिता ईश्वरलाल 1/4 हि. व. दर्ज रिकॉर्ड हैं। इसके बाद बदाम बाई बहिन ने वादीगण के पक्ष में हक त्याग जरीये नामान्तरकरण सख्या 1767 दर्ज हुआ तथा वादीगण की आराजीयात का अलग खाता बना एवं बाद में सवत 2070 से 2073 की रोटसन जमाबंदी में नया खाता सख्या 586 बना जिसमें सहवन से वादीगणों का इन्द्राज बंशीलाल, श्यामलाल, शान्तिालाल पिता काशीराम 1/3 ब्राहम्ण के रूप में त्रुटि पुण दर्ज हो गया हैं। उक्त रोटसन जमाबंदी में वादीगण के पिता नाम ईश्वरलाल के बजाय गलती से काशीराम दर्ज हो गया जिसका शुद्वी पत्र कमांक एल आर/38/दिनाक 29/05/2028 भरा गया जिसका अमल जमाबंदी 2070 से 2073 के खाता संख्या 586 में किया किन्तु आगामी ऑनलाईन जमाबंदी बनाते वक्त सवत 2077 स्थाई जमाबंदी खाता सख्या 136 में वादीगणों का नाम पुनः शुद्वी पत्र के दाखिले को नजर अन्दाज करते हुए बंशीलाल,श्यामलाल, शान्तीलाल पिता काशीराम ब्राहम्ण के रूप में दर्ज कर दिया गया जिसे वादीगण घोषणा के जरिये अपने के पिता का नाम काशीराम के बजाय ईश्वरलाल करवाना चाहते हैं। जो सही होना वर्णित किया गया हैं।उक्त मामले में वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी खाता संख्या 1526 व 1527 में अन्य सहखातेदारान के साथ वादीगणों के अनुसार उनके पिता का नाम शंकरलाल पुत्र काशीराम हिस्सा 1/8 ब्राहम्ण के रूप में दर्ज हैं इस सम्बन्ध में वादीगणो ने अपने आधार कार्ड , वॉटर आई डी, राशन कार्ड आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसमें उनके पिता का नाम ईश्वरलाल दर्ज हैं। आराजी नम्बर 1526 व 1527 में वक्त सेटलमेंट से ही शंकरलाल पुत्र कशीराम दर्ज चला आ रहा हैं। जिसे वादीगण घोषणा के जरिये पिता का नाम ईश्वरलाल दर्ज करवाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में उक्त जांच रिपोर्ट में काशीराम का सजरा भी पेश किया है जिसमें काशीराम के चार पुत्र बताये गये हैं। जिनके नाम क्रमशः वरदीशंकर, ईश्वरलाल, जितमल व हिरालाल बताये है तथा ईश्वरलाल के सजरे में उनके वारिसान के रूप में नाम बंशीलाल(पुत्र), श्यामलाल(पुत्र) शान्तिलाल(पुत्र), बदामबाई(पुत्री) व वरजुबाई(पत्नि) फोत होना रिपोर्ट में बताया गया जिसमें यह भी वर्णित है कि ग्राम जुणदा के आराजी न. 1277,1286,1287 व 3188/1286 में वादीगण अपने पिता का सही नाम काशीराम के बजाय ईश्वरलाल दर्ज करवाने चाहते है। एवं आराजी न. 1526 व 1527 में शंकरलाल पुत्र काशीराम हिस्सा 1/8 ब्राहम्ण के बजाय उनके विधिक वारिसान वादीगण बंशीलाल, श्यामलाल, शान्तिलाल, बदाम बाई पिता ईश्वरलाल का नाम जरिये घोषणा दर्ज करवाना चाहतें हैं। इस सम्बंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रकरण के तथ्यों को देखते एवं तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक जाच रिपार्ट का अवलोकन करने उपरान्त यह पाया जाता हैं कि वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के मुताबिक उक्त वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री होने योग्य हैं। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

—: आदेश :—

ग्राम जुणदा में स्थित कृषि आराजी संख्या 1277, 1286, 1287 व 3188/1286 कुल किता 04 कुल रकबा 3.4074 हेक्टेयर भूमियों में वादीगण का पिता का नाम काशीराम (गलत नाम) की जगह सही नाम पिता के नाम की जगह ईश्वरलाल नाम दर्ज किये जाने एवं ग्राम जुणदा की आराजी सख्या 1526 व 1527 कुल किता 02 कुल रकबा 1.5864 हेक्टेयर भूमि में अंकित नाम शंकरलाल पुत्र काशीराम 1/8 (मृतक) के बजाये उनके विधिक वारिसान वादीगण प्रत्येक का 1/32, 1/32 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी तदनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/09/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा